

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1978 निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम रमेश कुमार तिवारी 2. वर्तमान धारित पद ए० डी० एम
 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता कार्यालय
 4. वर्तमान वेतन 26720 + 4100 5. भविष्य निधि क्रमांक 21754105 6. कर्मचारी संख्या 83976249

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
म न० 1845 नेपियर टाऊन 4था पुल के पास जबलपुर	गृह 1040 Sq ft निर्मित मकान		600000/- लगभग छ लख रुपये	स्वयं के नाम से	नगल पट्टा श्री वी० एम० मल्लोत्रा रमेश कुमार मल्लोत्रा से दिनांक 30/11/1995 को स्वयं की जबलपुर रकबाद फर बनवाया था	निरंक	

हस्ताक्षर रमेश कुमार तिवारी
 नाम रमेश कुमार तिवारी
 पद ए० डी० एम

* जहां लागू न हो काट दीजिए
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
 संलग्न - उपरोक्तानुसार